भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3630**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया गोल्ड की शुरुआत

3630. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में सल्फर-लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरुआत के पीछे क्या कारण हैं और उक्त उर्वरक के माध्यम से मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) 'एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना' के अंतर्गत किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है और उक्त योजना के अंतर्गत किसानों को राजसहायता प्राप्त उर्वरक किस प्रकार उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) 'एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना' के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उर्वरक थैलों का रंग कूट संकेतन नियत करने का आधार क्या है और इसका किसानों पर क्या संभावित प्रभाव होगा;

(घ) क्या सरकार द्वारा 1451 करोड़ रुपए का राजसहायता परिव्यय स्वीकृत किया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो उक्त राजसहायता से किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है और उक्त राजसहायता किस प्रकार संवितरित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) की शुरूआत बेहतर नाइट्रोजन ग्राह्यता दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी क्योंकि सल्फर का लेपन होने के कारण मृदा में यूरिया धीमी गति से स्रावित होगा। सल्फर की कमी वाली मृदा में यह विशेष रूप से फायदेमंद है। एफसीओ के विनिर्देशनों के अनुसार सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) में 17% सल्फर और 37% नाइट्रोजन है।

सल्फर एक महत्वपूर्ण द्वितीयक पोषक तत्व है जो जड़ों के विकास, नोड्यूलेशन, मेटाबॉलिक गतिविधियों में सहायता करता है और फसल की पैदावार, गुणवत्ता और प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। यह अन्य आवश्यक पादप पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन (एन) और फास्फोरस (पी) पोषक तत्व के उपयोग की ग्राह्यता दक्षता को भी बढ़ाता है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने दिनांक 24 अगस्त 2022 की अधिसूचना के माध्यम से "प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी स्कीम के तहत उर्वरकों के लिए एकल ब्रांड और लोगो की शुरूआत करके एक राष्ट्र एक उर्वरक को लागू करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य उर्वरकों की उपलब्धता बास्केट में वृद्धि करना है; बाजारों में उपलब्ध कई ब्रांडों में से चयन करने में किसानों की दुविधा को दूर करना है ताकि क्रिसक्रॉस संचलन को कम किया जा सके और उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

(घ): बजट घोषणा, 2023 के अनुसरण में और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों पर, सरकार ने 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ गोबरधन स्कीम के तहत कम्प्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) बायो-गैस संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों अर्थात किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम)/फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि भी शामिल है।

(ङ.): सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान होने की अपेक्षा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग में कमी आएगी। एमडीए का जिस तरीके से वितरण किया जाता है, उसका वर्णन नीचे किया गया है।

दिनांक 20-09-2025 को जारी एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 20-09-2023 से दिनांक 30-06-2024 तक बाजार विकास सहायता (एमडीए) का दावा करने के लिए सामान्य भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार है:

i. एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम की विपणन इकाइयों को राज्य कृषि विभाग द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित निर्धारित प्रोफार्मा 'बी 1 एमडीए' में उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई अपेक्षित सूचना के आधार पर पीओएस के माध्यम से बेची गई मात्रा के लिए उर्वरक विभाग से एमडीए का दावा करने की अनुमति है।

ii. राज्य कृषि विभाग को गुणवत्ता प्रमाण पत्र (प्रोफार्मा 'बी 2-एमडीए') जारी करना आवश्यक है।

iii. विपणन इकाई को राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रोफार्मा 'बी-2 एमडीए' में विधिवत रूप से प्रमाणित सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला/एनएबीएल प्रत्यायित निजी प्रयोगशाला द्वारा जारी गुणवत्ता प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस विशिष्ट माह के लिए एमडीए भुगतान के दावे के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

iv. विपणन इकाई द्वारा आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से डीबीटी दावे किए जाएंगे। दावों पर उर्वरक विभाग में कार्रवाई की जाएगी और विपणन इकाइयों को बाजार विकास सहायता जारी की जाएगी। विपणन इकाइयों को एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम की बिक्री के माह से दो माह के भीतर एमडीए का दावा करना अपेक्षित है।

दिनांक 10-11-2025 को जारी एसओपी दिशानिर्देशों के अनुसार, जुलाई, 2024 से भुगतान जारी करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

i. सब्सिडी के कुल दावे की 50% राशि मात्रा की स्व-घोषणा के साथ प्रस्तुत किए गए एनएबीएल गुणवत्ता प्रमाण-पत्र और पीओएस बिक्री विवरण के आधार पर जारी की जाएगी।

ii. कुल दावे का शेष 50% उर्वरक विभाग द्वारा दावेदारों द्वारा ई-मेल के माध्यम से पहली सूचना/अनुरोध की तारीख से 45 दिनों के भीतर राज्य कृषि विभाग द्वारा बी-1 और बी-2 प्रमाण-पत्र जारी करने पर जारी किया जाएगा।

iii. यदि बी 1 और बी 2 प्रमाण पत्र 45 दिनों के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं, तो प्रमाण पत्र जारी किए गए माने जाएंगे और उर्वरक विभाग द्वारा शेष 50% भुगतान जारी कर दिया जाएगा।

******